रामलाल बनाम हरगोविन्द दावा

12/9/22 को पेश

12/10/22

19/10/22 को पेश

5/12/22 को पेश

5/12/22 को पेश हुई। नकील वादी को बार-बार आवाज दिलवायी गई। नकील वादी एवं वादी में से कोई हाजिर नहीं आया अतः वाद वादी अदम हाजरी-मुद्दई के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर। नम्बर के बाद नकील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)